Indian J. Soc & Pol. 03(02): 2016: 83-84 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

भारतीय लोकतंत्र – समस्यायें एवं समाधान

संतोष कुमार पाण्डेय[1], विष्णु चन्द्र त्रिपाठी[2]

प्रवक्ता, राजनीतिविज्ञान विभाग, राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0, भारत

अध्यक्ष, राजनीतिविज्ञान विभाग, राजा श्री कृष्ण दत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

महान यूनानी विचारक अरस्तू के अनुसार प्रजातंत्र के तीन लक्षण हैं– प्रथम बहुसंख्यक गरीबों का राज्य हैं। द्वितीय इसमें स्वतंत्रता रहती हैं। स्वतंत्रता का अर्थ हैं मनुष्य अपनी इच्छा और विवेक के अनुसार अपने जीवन का निर्धारण कर सकें। तृतीय इसमें समानता रहती हैं। समानता का तात्पर्य हैं प्रत्येक व्यक्ति को बारी–बारी से राज्य कार्य संचालन की सुविधा रहे । प्रजातंत्र के लिए यह आवश्यक है कि जनता को स्वयं अपने राजनीतिक भाग्य को स्थापित एवं संचालित करने का पूरा अवसर मिले। आधुनिक युग में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायालय और विरोधी पार्टियों के अधिकार प्रजातंत्र के आवश्यक आधार हैं। लोकतंत्र की मान्यता हैं कि कोई भी सत्य न अन्तिम होता हैं और न ही एकांगी। उसकी निरंतर पड़ताल होती रहती हैं।

KEYWORDS: *संविधान, लोकतंत्र, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक*

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय लोकतंत्र के आधार दर्शन का निरूपण किया गया है उसकी मुख्य धारणायें – स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा भ्रातृत्व को लेकर चलता है और साधारण जन का अर्थ हैं सड़क पर काम करने वाला व्यक्ति, बैल गाड़ी का हकवारा तथा अन्य दलित तथा उपेक्षित लोग। गाँधी जी ने लोकतंत्र के इस मानववादी पक्ष पर बहुत बल दिया था। लोकतंत्र को तभी सच्चा माना जाता हैं जब उसमें तीन चीजें विद्यमान हों। दबाव, धमकी, आतंक और हिंसा के स्थान पर विवाद, वार्ता, विवेचना और समझाने बुझाने की बौध्दिक क्रिया विधि का प्रयोग कष्ट की इस धारणा में विश्वास और उसी के अनुसार कर्म में मनुष्य साध्य हैं, साधन नहीं, और इसके फलस्वरूप सभी नागरिकों को राजनीतिक निर्णय में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने का अवसर देना तथा सार्वभौम कल्याण के दर्शन को स्वीकार करना। 3)व्यक्तिगत स्वतंत्रता को साक्षात्कृत करने के लिए कुछ संस्थापक तरीकों का प्रयोग करना। उदाहरण के लिए मूल अधिकारों को लागू करने का उपाय न्यायिक स्वतंत्रता, विधायी तथा प्रशासकीय कार्यो की न्यायिक पुनरीक्षा चुनाव इत्यादि। बल तथा आतंकवाद के स्थान पर बौद्धिक विचार विनिमय के सिद्धान्त को स्वीकार करने का अर्थ विधि परक व्यवस्था में विश्वास करना क्योंकि विधि शक्ति की तुलना में अधिक पवित्र चीज है। व्यक्ति के अधिकारों की प्रतिष्ठा करने की इच्छा के मूल में यह धारणा निहित है कि मानव प्राणी का व्यक्तित्व तत्वतः नैतिक और आध्यात्मिक है।

यद्यपि भारत की जनता अधिकांश निरक्षर तथा अधिकतम अर्ध्द विकसित थी फिर भी संविधान सभा ने जान बूझकर लोकतंत्र की स्थापना का निर्णय लिया था। क्योंकि प्रजातंत्र का उद्देश्य सदैव समूचे समाज का हित होता है। किसी एक वर्ग या समुदाय का हित नहीं। सभी व्यक्तियों को, यदि उनका धर्म या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक मात्र उनकी समान मानवता के आधार पर राजनीतिक समाज में ग्रहण किया जाना चाहिए। समाज के सदस्य प्रत्येक व्यवस्था व्यक्ति को समाज की राजनीतिक सत्ता में समान भाग प्राप्त करने का अधिकार है। जब हम कहते है कि सभी मनुष्य समान है तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि सभी मनुष्य परम मूल्य के केन्द्र है। हम यह नहीं कह सकते कि अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए सम्भावित साधन में हमारे अन्दर तो पूर्ण मूल्य है। जहाँ तक हमारे साधानात्मक मूल्य का प्रश्न है, हम असमान है क्योंकि हमारी क्षमताएं अलग–अलग है, इसलिए हम अलग–अलग कार्य अपना लेते है जिन्हें हम अलग–अलग कोटि की सुचारता के साथ पूरा करते है। परन्तु सामाजिक संघटन में प्रत्येक व्यक्ति और साधनात्मक मूल्यों में अन्तर न करने के कारण होता है। अपने तात्विक मूल्य की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है परन्तु अपने साधनात्मक मूल्यों की दृष्टि से असमान है। प्रजातंत्र जनता का शासन के बाद इस अर्थ में है कि जनता के समाज के सभी सदस्य आ जाते है। प्रजातंत्र अल्पसंख्यको के मतों के दमन का विरोधी है। लोकतांत्रिक शासन इस धारणा पर आधारित होता है कि कुछ ऐसे आधार भूत लक्ष्य तथा मूल्य है जिनके सम्बन्ध में सहमत होना सम्भव है। सभी राजनीतिक दललोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सहमत होते है। इसलिए जो भी वांछित परिवर्तन हो उन्हे सजीव किन्तु संयत विवाद के द्वारा ही सम्पादित किया जा सकता है। इस देश में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों की तत्काल आवश्यकता है। रूढ़ियों के बंधनो को भिन्न–भिन्न करना है इसलिए लोकतंत्र वादी किसी ऐसे दल का समर्थन नही कर सकता जो यथा स्थिति का समर्थन करता हो अथवा सामाजिक विधान को पुरातन धर्मशास्त्रों का उद्धरण देकर विफल करना चाहता है।

1: Corresponding Author

प्रजातंत्र की अनेक विशेषताएं है और इसी कारण आधुनिक युग के अनेक विचारकों ने इसका समर्थन किया है। शासन करने का अधिकार अनुबन्ध जनित सहमति पर आधारित हो ऐसा रूसो का विचार था। प्रजातंत्र को समर्थित करने वाली पहली युक्ति यह है कि यदि मनुष्य अपना शासन स्वयं अपने प्रतिनिधियों द्वारा न करे तो उसके राजनीतिक व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। दूसरी युक्ति प्रजातंत्र के पक्ष में है कि जनता के भीतर कुछ छिपी दृढ़ किन्तु महत्व पूर्ण बौद्धिक शक्ति है। उस शक्ति को जगाने से बड़े कार्य सिद्ध हो सकते है। जे0एस0मिल का मत है कि साधारणतः सभी पुरूषों में जो विवेक और चरित्र की शक्ति है उसे प्रजातंत्र के द्वारा ही कार्य में लाया जा सकता है। उपयोगिता वादियो ने तीसरी युक्ति भी दी है। उसके अनुसार अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुख प्रजातंत्र के द्वारा ही सिद्ध हो सकता है क्योंकि इसी शासन प्रणाली के द्वारा ऐसे नियम और विधान बनाये जा सकते है जिनसे सामाजिक सुख की पूरी वृद्धि हो। व्यवहार में हम यह देखते है कि प्रजातंत्र का फल अच्छा रहा है। जनता के अन्दर इसके कारण एक अद्भुत आत्म विकास उत्पादिनी चेतना का विकास हुआ है। साधारण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में प्रजातंत्र का बड़ा हाथ है।

प्रजातंत्र की कमियां भी है, कुछ वास्तविक तथा कुछ काल्पनिक वर्ण श्रेष्ठता वादियों का कहना है कि प्रजातंत्र पश्चिमी जातियों के लिए उपर्युक्त है किन्तु हजारों वर्षों तक नरपतितंत्र, सामंत तंत्र और पुरोहित तंत्र द्वारा पीसे गये एशिया और अफ्रीका के लिए यह ठीक नही है। किन्तु भगवान गौतम बुद्ध, आचार्य शंकर, महात्मा गांधी, कन्फ्यूसियस और अन्य महापुरूषों को जन्म देकर एशिया ने बता दिया कि आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति का भण्डार भारत और चीन में है। हब्शी जाति ने भी बड़े–बड़े पुरूषों को उत्पन्न किया है और यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि कोई भी जाति किसी से मूलतः नीची नहीं है। निम्नता आर्थिक और सामाजिक वातावरण के कारणों से आती है समुचित अवसर प्राप्त होने पर प्रत्येक मनुष्य का विकास सम्भव है। इटली के कुछ विचारकों का कथन है कि शासन कार्य एक गम्भीर और कठिन कर्म है। इसे चुने हुए लोग ही कर सकते है। सामान्य जनता नहीं यह ठीक है कि अर्थशास्त्र और सेवा संगठन शास्त्र की मनुष्य गुत्थियों को जानता नही समझ सकती किन्तु किसी व्यापक नियमों के आधार पर शासन होना चाहिए। इसको जनता समझती है। अरस्तू ने बड़ा अच्छा कहा है कि केवल मकान बनाने वाला चतुर कारीगर ही नहीं बल्कि उस मकान में रहने वाला साधारण मनुष्य भी इस बात का पता लगा सकता है कि मकान ठीक बना है कि नहीं। प्लेटो प्रजातंत्र का घोर विरोधी था। उसके अनुसार इस शासन प्रणाली के स्वतंत्रता का घोर दुरूपयोग होता है, विधान भंग हो जाता है।, उच्छृंखलता बढ़ जाती है, अयोग्य भी बराबरी की माँग करता है और बगावत का भय रहता है। अतएव, दार्शनिक की श्रेष्ठ बुद्धि ही शासन करने योग्य है। काम्प्टे के अनुसार प्रजातंत्र में केवल बहुमत का प्रधान रहता है, अतएव अल्पमतों की अपेक्षा हो सकती है।

प्रजातंत्रीय देशो में राजनीतिक स्वतंत्रता है किन्तु वहाँ आर्थिक समानता के अभाव में धनी वर्गो का पूरा प्रभुत्व स्थापित हो गया है। पूंजीवाद के विकास के कारण नये धनशाहों की आर्थिक शक्ति अत्यन्त बढ़ गयी है और विधान सभा के सदस्यों और न्यायालय के भी न्यायाधीश रूपये के बल पर अपनी मुट्ठी में करना इसने शुरू किया है केवल साम्यवादी, मार्क्सवादी और लेनिन ने ही नही अपितु प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और समाज शास्त्री पैरेटो और जर्मन इतिहास इस्पेंगलर ने भी इस बात पर अधिक बल दिया है कि आधुनिक प्रजातंत्री देशों में धन का भयंकर प्रभुत्व स्थापित है। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी कमी यह है कि राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ धन की अत्यधिक विषमता को भी हटाने का उसने सफल प्रयास नहीं किया। प्रजातंत्र में जातिवाद को बढ़ावा मिला है। आज जाति का राजनीतिकरण हो गया है। जिससे विकास के पहिए की गति अवरूद्ध हो गयी है।

प्रजातंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यक शर्ते अनिवार्य है। नागरिको के अन्दर नैतिक भावना का प्रसार होना चाहिए। उनकी बौद्धिक चेतना को शिक्षा के द्वारा विकसित करना होगा। स्थानीय शासन प्रणाली को जीवित और संगठित करने का भी उद्योग होना चाहिए। जनता अपनी सार्वभौम सत्ता का अनुभव करे। इसके लिए आर्थिक विषमताओं को दूर करना आवश्यक है। दीर्घ कालीन अभ्यास से ही वह प्रजातंत्रीय परम्परा स्थापित होती है जो सामाजिक मातृ भावना को विकसित करती है। सहिष्णुता और पारस्परिक सौहार्द्र के बिना प्रजातंत्र चल नहीं सकता। सहकारी आन्दोलन का भी उत्थान किया जा सकता है। अधिकारी वर्ग में यह शिक्षा देनी है कि वह अपने जीवन को जनता की सेवा में बिताना ही धर्म माने। राजनीतिक का जो वर्ग है, उसमें भी काफी नैतिक और बौद्धिक सुधार की आवश्यकता है यदि ये बातें व्यवहार में आ जायें तो प्रजातंत्र सब में जनता का राज्य हो सकता है। जो लोग दार्शनिक और युक्तियों के आधार पर प्रजातंत्र का खण्डन करते है उन्हे यह बताया जा सकता है कि जनता को अपना राज्य स्थापित करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। स्वशासन की उपेक्षा कर सुशासन ठीक नही है। इसलिए प्राचीन भारतीय साहित्य में स्वराज की इतनी महिमा है।

सन्दर्भ

मिश्र, के के : *राजनीति के सिद्धान्त*

कृष्णन डॉ सुधा : *धर्म और स्मरण*

वर्मा, वी0पी0 : *आधुनिक भारतीय राजनीतिक*, चिन्तन